

F. D. No. 24 / PS/CCE/0
Dated 13-1-20



J.D. Am.
M
10/1/20

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प. 1(5)शिक्षा/ग्रुप-3/2019

जयपुर, दिनांक: 8 JAN 2020.

-: आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के निम्नांकित अधिकारियों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर, उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-5 में अंकित दिनांक को अपरान्ह से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ.)	पदनाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
1.	रतन शर्मा	प्राचार्य	07-01-1960	31-01-2020
2.	विनोद कुमार	प्राचार्य	11-01-1960	31-01-2020
3.	रामकेश मीना	प्राचार्य	13-01-1960	31-01-2020
4.	रेखा राणावत	प्राचार्य	21-01-1960	31-01-2020
5.	बृजभूषण शर्मा	प्राचार्य	16-02-1960	29-02-2020
6.	कृष्णा रानी	प्राचार्य	10-03-1960	31-03-2020
7.	पुखराज देपाल	प्राचार्य	01-04-1960	31-03-2020
8.	मूलचन्द सैनी	प्राचार्य	01-06-1960	31-05-2020
9.	सत्यनारायण मीना	प्राचार्य	04-06-1960	30-06-2020
10.	रफीक मोहम्मद कुरेशी	प्राचार्य	01-07-1960	30-06-2020
11.	अन्सार अहमद खॉन	प्राचार्य	01-07-1960	30-06-2020
12.	राकेश शर्मा	प्राचार्य	10-07-1960	31-07-2020
13.	हेमराज मीणा	प्राचार्य	15-08-1960	31-08-2020
14.	विमलेश गुप्ता	प्राचार्य	23-10-1960	31-10-2020
15.	अमिता अग्रवाल	प्राचार्य	24-10-1960	31-10-2020
16.	मुन्नालाल अग्रवाल	प्राचार्य	30-11-1960	30-11-2020
17.	कान्ता कामरां	प्राचार्य	04-12-1960	31-12-2020

सं० 3

13.1.2020
4109
13.1.2020

कार्मिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त तालिका में क्रम संख्या-8 पर अंकित श्री मूलचन्द सैनी, प्राचार्य के विरुद्ध वर्तमान में सी.सी.ए. नियम-17 के अन्तर्गत प्रस्ताव स्तर पर विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर तालिका में क्रम संख्या-8 पर अंकित अधिकारी को छोड़कर शेष नामित अधिकारियों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-


1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी प्रकार के ऋण शेष नहीं होने एवं अधिकारी के राजकीय आवास में अधिवासित होने की स्थिति में, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से दो माह की अवधि में राजकीय आवास रिक्त कराने की शर्त पर जारी की जाती है।
उक्त अधिकारियों के पेंशन परिलाभों के नियमानुसार भुगतान में विलम्ब की स्थिति के लिए विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगा।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(बाबूलाल गोयल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित महाविद्यालय/अधिकारी द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।


राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।


(राजेश कुमार शर्मा)
सहायक शासन सचिव

क्रमांक:-एफ-1() प्रशा0/सेवानिवृत्ति-2020/आकाशि/2020/ 6396

दिनांक :- 13.1.2020

- पृष्ठांकित प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 2. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 4. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय।
 5. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी, राजकीय महाविद्यालय।
 6. रक्षित पत्रावली।
 7. डेबुआर, अपलोड हेड


13.1.2020
(डॉ० के०एल० सिराधना)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर।